

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।
पत्रांक- 623 / 12-1, कालसी, दिनांक, 19.09.2022

सेवा में

अभिषारी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, देहरादून।
जी०एम०एस० रोड, गढवासीबाग,
देहरादून।

विषय

जनपद-देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपड़ियान, तीलीमूड, लांघा
ग्राम-पष्टा के लोअर पीपलसार एवं अपर रुद्रपुर ग्रामों की सिप्रंकलर आधारित लिफ्ट
सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 0.18 है० वन भूमि का नलकूप खण्ड, देहरादून को
हस्तान्तरण। (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/IRRIAG/54975/2022)।

सन्दर्भ

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-03, पत्र संख्या-844/X-3-22/2(29/2022, दिनांक
07.09.2022.

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून के स्तर से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त शर्तानुसार उक्त निर्माण कार्य के लिये प्रतिपूरक
वनीकरण के लिये 360 पौधों का रोपण एवं उसमें 10 वर्षों के रखरखाव पर व्यय की देय धनराशि एवं
एन०पी०वी० की धनराशि आपके द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है, जिसका विवरण निम्न
प्रकार है-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	दर प्रति है०	देय धनराशि (रु० में)
1	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 360 पौधों का रोपण एवं उसमें 10 वर्षों के रखरखाव पर व्यय	0.36	407992.00	146877.00
2	एन०पी०वी० की देय धनराशि	0.18	1228590.00	221146.00
			योग	368023.00

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करें एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त सनत्त
शर्तों की अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में
दिशित स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भूषदीप,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,
कालसी।

प्रतिलिपि : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू०सं० वन प्रभाग,
कालसी।